न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 78/2023

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादीनी – 1.चैनी पत्नि तेजाराम पुत्री खेराजराम, जाति मेघवाल
निवासी तारातरा मठ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.चैनाराम 2.धनाराम 3.दूदाराम पि.खेराजराम, जाति मेघवाल
निवासी जाखड़ों की ढाणी (रतासर), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
4.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – श्री विलाल खान
प्रतिवादीगण वकील – श्री मोतीराम मेणसा (प्रतिवादी सं. 1, 2)

अन्तर्गत धारा 88,188, RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 22/01/25

वादीनी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 पूर्व पुरूष खेराज पुत्र खेता के वारिसान है, जिनका संयुक्त अविभाजित, पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि मौजा रतासर तहसील चौहटन में मूल खेत खसरा सं. 342 रकबा 47.08 बीघा का आया हुआ था, जो वर्तमान में नवसृजित राजस्व ग्राम जाखड़ों का तला (जैसार) तहसील चौहटन में खसरा सं. 391/342, 392/342, 393/342, 342 रकबा क्रमशः 02.5576, 02.1691, 02.5576, 00.3237 हैक्टयर का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है तथा वादीनी स्व. खेराज की जायन्दा पुत्री है, इस नाते उक्त वादग्रस्त आराजी की पैतृक सम्पति में वादीनी का प्रतिवादी सं.1 से 3 के साथ बराबर का हिस्सा बनता है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 391/342, 392/342, 393/342, 342 रकबा क्रमशः 02.5576, 02.1691, 02.5576, 00.3237 हैक्टयर (मूल खसरा सं. 342 रकबा 47.08 बीघा) भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता खेराज पुत्र खेता के नाम से खातेदारी में थी, वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता खेराज पुत्र खेता के फौत होने पर ग्राम पंचायत रतासर द्वारा पारित फौतगी नामान्तरकरण सं. 254 दिनांक 27.04.1981 में प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने वादीनी की उपस्थिति को छिपाते हुए अपने नाम से विरासतन का फौतगी नामान्तरकरण पारित करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया। वादीनी के पिता के फौत होने पर उनके समस्त वारिसान पुत्र पुत्रियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested

का उक्त सहदायिकी सम्पति में बराकर का समान अधिकार था, वादीनी स्व. खेराज की वैध वारिशान होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने की वैध अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीनी का मौके पर माफिक हिस्सा कब्जा काश्त है, वादीनी की ढाणियां, पशुबाडे, टांके इत्यादि बने हुए है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादीगण वादीनी के हिस्से की भूमि को जबरन बेचान कर वादीनी को बेदखल करना चाहते है, अतः वादीनी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाना चाहती है, इस हेतु वाद पेश इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीराम मेणसा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता की ओर से वाद का इकबालिया जवाब पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीनी साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 वादीनी चैनी तथा पीडब्ल्यू 2 भींयाराम पुत्र रामचन्द्र का शपथ पत्र पेश किया। जिसके समर्थन में प्रदर्श–1 नामान्तरकरण सं. 254 मौजा रतासर, प्रदर्श–2 जमाबन्दी मौजा जाखड़ों का तला के खसरा सं. 391/342, प्रदर्श–3 जमाबन्दी मौजा जाखड़ों का तला के खसरा सं. 392/342, प्रदर्श–4 जमाबन्दी मौजा जाखड़ों का तला के खसरा सं. 393/342, प्रदर्श–5 जमाबन्दी मौजा जाखड़ों का तला के खसरा सं. 342 न्यायालय में Exhibit करवाये। प्रतिवादी अधिवक्ता वादीनी साक्ष्य की जिरह तथा प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है, अतः अवसर बन्द किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित करने का निवेदन किया, प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादीनी के वादपत्र को स्वीकार किया ।

अधिवक्ताओं की बहस [illegible] पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके [illegible] कि वादग्रस्त आराजी मौजा रतासर तहसील चौहटन में मूल खेत ख[illegible] बीघा का आया हुआ था, जो वर्तमान में नवसृजित राजस्व ग्राम जाखड़ों का तला (जैस[illegible]) तहसील चौहटन में खसरा सं. 391/342, 392/342, 393/342, 342 रकबा क्रमशः 02.5576, 02.1691, 02.5576, 00.3237 हैक्टयर का है, जो वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पूर्व पुरूष खेराज पुत्र खेरा के नाम से खातेदारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

दर्ज हुए थी। खेराज के फौत होने पर उक्त वादग्रस्त पैतृक सहदायिक सम्पति है। वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 स्व.खेराज के वैध वारिशान है। उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से खेराज के फौत होने पर उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ वादीनी 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। न्यायालय के मतानुसार वादीनी का वाद स्वीकार करने योग्य है ।

अतः न्यायहित मे वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मौजा रतासर तहसील चौहटन के मूल खेत खसरा सं. 342 रकबा 47.08 बीघा, जिसका वर्तमान में नवसृजित राजस्व ग्राम जाखड़ों का तला (जैसार) तहसील चौहटन में खसरा सं. 391/342, 392/342, 393/342, 342 रकबा क्रमशः 02.5576, 02.1691, 02.5576, 00.3237 हैक्टयर में वादीनी को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) चौहटन
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested